वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 29.09.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, आज, तरुणमित्र न्यूज़ ,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 29.09.2024

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पार्किंग में खड़ी होंगी ग्राहकों की गाड़ियां

वीडीए से प्रतिष्ठानों की मांगी जानकारी, नक्शे में पार्किंग का प्रविधान

जागरण संवाददाता, वाराणसी : पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए नित नए जतन कर रहे हैं। उन्होंने ई-रिक्शा और आटो को कायदों के जंजीर में बांधने क बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की पार्किंग को प्रयोग में लाने की ठानी है। उनका कहना है कि ग्राहकों की गाड़ियां व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के पार्किंग स्थल पर ही खड़ी होंगी। इसे सख्ती से लागू कराकर हम सड़कों से 15 फीसद वाहनों का बोझ घटा पाएंगे।

पुलिस आयुक्त शनिवार को यातायात व्यवस्था का हाल जानने लहरतारा, मंडुवाडीह, ककरमत्ता, भिखारीपुर, मालवीय गेट लंका, रविदास गेट, दुर्गाकुंड, भेलूपुर, रथयात्रा, सिगरा मार्गों पर निकले थे। लंका चौराहे पर ड्यूटीरत दो महिला पुलिसकर्मियों से बातचीत में उन्हें खाकी से सफेद वर्दी पहनकर ड्यूटी करने को मोटीवेट किए। डीसीपी काशी गौरव बंशवाल मौजूद रहे।

ककरम्मता पुल से 100 मीटर दूर बीएलडब्ल्यू से यू-टर्न लेने का प्रयोग सफल : मंडुवाडीह चौराहे पर यू-टर्न व्यवस्था लागू कर जाम का काम तमाम करने का सफल रहा प्रयोग अब ककरमत्ता पुल की ट्रैफिक पर लागू किया गया है। ककरमत्ता पुल से उतरते ही लागू यू-टर्न व्यवस्था को बंद कर उसे 100 मीटर आगे बीएलडब्ल्यू के पास से लागू किया गया है। पुलिस प्रशासन ने पहले दिन ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव प्रयोग के तौर पर किया, जिसका देर शाम सकारात्मक रिपोर्ट आने पर आगे के लिए लागू कर दिया गया है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर महिला ट्रैफिक पुलिस से क्षेत्र के यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल • स्रोत पुलिस

पुलिस आयुक्त ने बढ़ाया बच्चों का मनोबल

जागरण संवाददाता, वाराणसी : संत अतुलानंद कान्वेंट स्कूल कोइराजपुर में मिशन शक्ति अभियान फेज-4 के तहत महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों की आत्मसुरक्षा के लिए पांच दिवसीय 'निडर' कार्यक्रम का समापन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। संस्था सचिव राहुल सिंह, निदेशक डा. वंदना सिंह, प्रधानाचार्या डा. नीलम सिंह ने पुलिस विभाग की इस पहल की सराहना की। संचालन शेफाली श्रीवास्तव व मनीषा पांडेय ने किया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 29.09.2024

कंडीशनल एनओसी पर चलने वाले पेट्रोल पंपों पर करें कार्रवाई : सचिव

जागरण संवाददाता, वाराणसी : कंडीशनल अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) पर पेट्रोल पंप संचालित होने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने नाराजगी जताते हुए जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को चेतावनी दी है। कहा कि 10 दिन के अंदर सभी पेट्रोल पंपों का सत्यापन कर लिया जाए, जिन्होंने वीडीए से मानचित्र पास नहीं कराया है उन्हें नोटिस थमाते हुए शमन मानचित्र दाखिल करने की तीन दिन की मोहलत दें। यदि तीन दिन में शमन मानचित्र दाखिल नहीं करते हैं तो उसे सील करने के साथ आयल कंपनी को पत्र लिखें जिससे उनका लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की प्रक्रिया की जाए। सचिव शनिवार को वीडीए सभागार में जोन तीन, चार और पांच की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर रहे थे।

क्षेत्र में बेसमेंट के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी लेने के साथ सचिव ने पूछा कि क्या शहर में मात्र 267 बेसमेंट में कारोबार हो रहे हैं। अन्य बेसमेंट में वाहन पार्किंग हो

विभागीय समीक्षा बैठक करते वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा • स्रोत, वीडीए

- 10 दिन में करें पेट्रोल पंपों का सत्यापन, तीन दिन में मानचित्र दाखिल करने की दें मोहलत
- उठाया सवाल, क्या 267 बेसमेंट में ही हो रहे हैं कारोबार, नहीं था कोई जवाब

रही है, इसका जोनल अधिकारी और अवर अभियंता के पास कोई जवाब नहीं था। दो टूक में कहा कि बेसमेंट में हरहाल में वाहन पार्किंग होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान बेसमेंट में वाहन पार्किंग नहीं मिलने पर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। उन्होंने अवैध निर्माण बंद कराने के साथ उन्हें नोटिस जारी करने को कहा। साथ ही उनसे शमन मानचित्र दाखिल कराएं। उन्हें समझाएं कि मानचित्र पास कराने के फायदे बताएं। किसी के बहकावे में नहीं आएं। जिन शमन मानचित्रों की गणना कर ली गई हो उनकी राशि जमा कराएं। शिकायतों के निस्तारण के दौरान देखें कि शिकायत किस स्तर की है। फर्जी शिकायत हमारे लिए सूचना हो सकती है लेकिन उस आधार पर किसी भवन स्वामी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में जमीन की अवैध प्लाटिंग बंद कराएं।

दैनिक जागरण–दि0 29.09.2024

आइसीआइसीआइ बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा रेस्तरां सील, दर्ज होगा केस

जागरण प्रभाव

- दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद वीडीए की टीम ने की कार्रवाई
- बेसमेंट खाली कराकर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, वाराणसी: वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने सिगरा तिराहे से नगर निगम जाने वाले मार्ग पर स्थित आइसीआइसीआइ बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहे रेस्तरां को शनिवार को बंद कराने के साथ सील कर दिया। वीडीए ने बेसमेंट के पार्किंग वाले हिस्से को छोड़ दिया है लेकिन उसमें वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। चेतावनी दी है कि बेसमेंट में दोबारा रेस्तरां संचालित किया गया तो भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दैनिक जागरण ने 28 सितंबर की अंक में बेसमेंट में चल रहा रेस्तरां, दो अधिकारियों से जवाब-तलब खबर लिखकर वीडीए का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था।

अमित कुमार गुप्ता ने वाराणसी विकास प्राधिकरण से सिगरा तिराहे से नगर निगम जाने वाले मार्ग पर बेसमेंट के अलावा तीन मंजिल का नक्शा पास कराया है। मौके पर

आइसीआइसीआइ बिल्डिंग के बेसमेंट को खाली कराकर अन्य हिस्से को सील कराते वीडीए के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति • जागरण

बेसमेंट के अलावा एक मंजिल अतिरिक्त चार मंजिला बना हुआ है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने सभी जोनल अधिकारियों और अवर अभियंताओं को बेसमेंट में कारोबार करने वालों की सूची बनाने के साथ उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हालांकि जोन तीन दशाश्वमेध वार्ड के कर्मचारियों ने सूची बनाने में गड़बड़ी की। लबे रोड बेसमेंट में संचालित रेस्तरां दिखाई नहीं पड़ा। जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने बताया कि बेसमेंट में चल रहे रेस्तरां को बंद कराने के साथ पूरा बेसमेंट खाली करा दिया गया है, ताकि वहां वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। रेस्तरां के किचन समेत अन्य हिस्सों को सील कर दिया गया है।

: vcvdavns : Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in
Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in

दैनिक जागरण–दि0 29.09.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने दाखिल शमन मानचित्र को देखा

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शनिवार को जोन दो के सारनाथ वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तिलमापुर में मंजू खन्ना के दाखिल शमन मानचित्र को देखा। दो मंजिल व्यावसायिक भवन में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने उपाध्यक्ष को दाखिल शमन मानचित्र के बारे में जानकारी दी। (जासं)

अमर उजाला–दि0 29.09.2024

30 सितंबर के बाद गृहकर में नहीं मिलेगी छूट

वाराणसी। नगर निगम द्वारा भवन स्वामियों को दी जा रही छूट का लाभ 30 सितंबर तक मिलेगा। मेयर अशोक कुमार तिवारी ने 20 जून से छूट दिए जाने की घोषणा की थी, तभी से छूट का लाभ दिया जा रहा है। 28 सितंबर तक 836317 भवन स्वामियों ने अपने भवन का गृहकर जमा कर छूट का लाभ प्राप्त किया गया है, जिनके द्वारा 30.90 करोड़ रुपये गृहकर जमा किया गया है। गृहकर जमा करने वालों में आदमपुर जोन में 11724 भवन स्वामियों ने 2.54 करोड़, भेलूपुर जोन में 21896 भवन स्वामियों ने 5.50 करोड, दशाश्वमेध जोन में 15776 भवन स्वामियों ने 6.57 करोड, कोतवाली जोन में 7749 भवन स्वामियों ने 3.47 करोड तथा वरुणापार जोन में 25981 भवन स्वामियों ने 9.71 करोड़ रुपए की धनराशि गृहकर जमा किया गया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने नगर के भवन स्वामियों से अपील की है कि शेष बचे दो दिनों में अपने भवन का गृहकर जमा कर छूट का लाभ प्राप्त करें। कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर नगर निगम के सभी जोनों पर स्थित कंप्यूटर सेंटर पर जमा कर सकता है साथ ही नगर निगम की वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकता है। अब आगे गृहकर छूट की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 29.09.2024

वीडीए के सीमा विस्तार से जिला पंचायत का दायरा कम, नाराजगी

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। जिला पंचायत की बैठक शनिवार को अध्यक्ष पूनम मौर्या की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य सुनील सिंह ने वीडीए के सीमा विस्तार के कारण जिला पंचायत का दायरा कम होने पर आपत्ति जताई। इस मुद्दे पर जिला पंचायत के सदस्यों ने हंगामा किया।

बैठक में तय किया गया कि जिला पंचायत में काम करने वाले ठेकेदारों को हैसियत प्रमाणपत्र देना होगा। 20 लाख रुपये से अधिक का हैसियत प्रमाणपत्र रखने वाले ठेकेदारों को 'ए' श्रेणी में रखा गया। इन्हें जमानत राशि अब एक लाख रुपये जमा करनी होगी। नलकूप विभाग के अधिकारी के नहीं आने पर कार्रवाई की संस्तुति की गई। **सदस्य के पति से रंगदारी मांगने पर लिखा पत्र :** जिला पंचायत सदस्य सरिता यादव के पति अपना दल (कमेरावादी) के प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश को बृहस्पतिवार की रात जान से मारने की धमकी दी गई थी। उनसे रंगदारी की भी मांग की गई थी। इस संबंध में मंडुवाडीह थाने में नामजद मुकदमा दर्ज है। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने पुलिस आयुक्त को संबोधित पत्र प्रेषित कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

अमर उजाला–दि0 29.09.2024

वीडीए सचिव ने समीक्षा की, 10 दिनों में जारी करें नोटिस

वाराणसी। वीडीए सभागार में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही आदि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने के साथ मुकदमा दर्ज कराएं। 10 दिन के अंदर अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी करें। जोन-5 से 2 मानचित्र स्वीकृत किए गए। उधर, वीडीए वीसी पुलकित गर्ग ने सारनाथ वार्ड के तिलमापुर में व्यवसायिक भवन के नक्शे की जांच की। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 29.09.2024

बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को वीडीए ने किया सील

वाराणसी। सिगरा स्थित भवन के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को वीडीए के अधिकारियों ने शनिवार को सील किया। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बेसमेंट का निरीक्षण करते हुए रेस्टोरेंट को सील कराया। इस दौरान उन्होंने बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए करने के लिए कहा। मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश व प्रवर्तन दल आदि रहे। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 29.09.2024

पार्किंग में चल रहा रेस्टोरेंट सील किया

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को सिगरा में अवैध निर्माण और पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पार्किंग स्थल को सील किया गया। पार्किंग में रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। इस अवसर पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रवीन्द्र प्रकाश आदि थे।

वीडीए उपाध्यक्ष ने किया सारनाथ में निरीक्षण

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने जोन-2 वार्ड सारनाथ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक आवेदक के प्लॉट की जांच की। उपाध्यक्ष ने पार्किंग निर्धारित करने का निर्देश दिया । साथ ही क्षेत्र में हो रहे काम भी देखे।

हिन्दुस्तान–दि0 29.09.2024

सील भवन का निर्माण किया जा रहा हो तो दर्ज कराएं केस

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार में शनिवार को बैठक हुई। इसमें सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्यवाही की समीक्षा की। साथ ही सील भवनों के निर्माण, बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधि, अवैध प्लाटिंग होने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा। पेट्रोल पंपों की जांच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति कराने का निर्देश दिया। बैठक परमानंद यादव, सौरभ देव प्रजापति, प्रमोद तिवारी, प्रकाश कुमार आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्तान–दि0 29.09.2024

जर्जर मकान गिराने का विरोध, बुलानी पड़ी पुलिस

- निगम की नोटिस के बाद भी किरायेदारों का विरोध
- जेसीबी के आगे पहुंचीं महिलाएं, हुई कहासुनी

वाराणसी। नगर निगम से नोटिस मिलने के बाद मकान मालिक ने शनिवार को बड़ी पियरी में अपना जर्जर भवन ध्वस्त करा दिया। इस दौरान मकान में रहने वाले किरायेदारों ने जमकर हंगामा किया। उसे देखते हुए जोनल अधिकारी इंद्रविजय को पुलिस बुलानी पड़ी। तब किरायेदार शांत हुए।

जोनल अधिकारी ने बताया कि बड़ी पियरी में संयोगिता राय का मकान काफी जर्जर हो गया था। इस पर मकान मालिक को नोटिस दी गई। शनिवार को नगर निगम की टीम ने मकान गिरवाना शुरू कराया। इस पर मकान के किरायेदार विरोध करने लगे। महिलाएं बुलडोजर के आगे खड़ी हो गईं। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस से भी किरायेदारों की जमकर कहा सुनी हुई। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भवन ध्वस्त कराया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 29.09.2024

वीडीए सचिव ने समीक्षा बैठक में दिए कई निर्देश

वाराणसी (एसएनबी)। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में जोन-3, जोन-4, जोन-5 से सम्बंधित शमन मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत निस्तारण, प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा बैठक शनिवार को हुई। बैठक में सील भवनों में हो रहे निर्माण कार्य को बंद कराने, बेसमेंट को खाली कराये जाने, अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण कराने सहित मुकदमा दर्ज कराने, अवैध पेट्रोल पम्प की जांच करने एवं उनका मानचित्र स्वीकृति के लिए अभियान चलाये व क्षेत्रान्तर्गत हो रहे अवैध निर्माणों के सापेक्ष अधिक संख्या में शमन मानचित्र दाखिल कराने का निर्देश दिया गया। शमन मानचित्र के सापेक्ष सप्ताह में क्रमशः जोन-3 में 06,जोन-4 में 06,जोन-5 में 02 मानचित्र स्वीकृत किये गये। अवशेष शमन शुल्क के मद में क्रमशः जोन-3 में 61 लाख 26 हजार 481 रुपये, जोन-4 में 78 लाख 52 हजार 662 रुपये एवं जोन-5 में 15 लाख प्राधिकरण कोष में जमा कराया गया है। इसी क्रम में शिकायतों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया गया है। बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारीसौरभ देव प्रजापति, जोनल अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी, जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश, आरके सिंह एवं पीएन दुबे उपस्थित रहे।

आज–दि0 29.09.2024

सिगरा में रेस्टूरेंट सीज

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर विप्रा के अभियंताओं ने शनिवार को दशाश्वमेध वार्ड में सिगरा डी-५८/१९ ए-४ में अवैध निर्माण और पार्किंग का सचिव ने निरीक्षण किया था। इसके बाद उन्होंने बेसमेंट में संचालि रेस्टूरेंट को बंद करने के लिए निर्देश दिया था। परंतु पार्किंग में अवैध रूप से रेस्टूरेंट पाये जाने पर शनिवार को उसे खाली कराया गया। इसके बाद जोनल अधिकारी के निर्देश पर अवर अभियंता ने रेस्टूरेंट संचालक के विरुद्ध कारवाई करने के अलावा भवन को सील कर दिया। सिलिंग कारवाई में जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश एवं प्रवर्तन दल, सुपरवाइजर मौके पर मौजूद रहे। सिलिंग कारवाई के बाद निकटम थाने की अभीरक्षा में सौंप दिया गया।

आज–दि0 29.09.2024

विप्रा रामनगर को पर्यटन के तौर पर करेगा विकसित

रामनगर की कायाकलप करने के लिए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने संबंधित संस्था ईवाई इन्स्ट एंड यंग के साथ बैठक करके उनकी परियोजना के विषय में जानकारी प्राप्त की। निजी संस्था ने परियोजना में गंगाब्रीज के साथ-साथ मार्ग को चौड़ीकरण करना और सौंदर्यीकरण करने के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें डिवाइडर बनाये जाने का भी प्रस्ताव है। यातायात सुगम बनाने और दुर्घटनाओं की संभावना कम करने के लिए वेंडिंग जोन, पाथवे का भी प्रस्ताव शामिल किया गया है। सबसे मुख्य बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर पैदल चल रहा है तो उसे किसी भी तरह की दुर्घटना की संभावना नही हो सकती है क्योंकि पैदल मार्ग अलग से तैयार किया जायेगा। इस संबंध में उपाध्यक्ष ने एसडीएम सदर को निर्देश दिया कि राजस्व अभिलेखों की समीक्षा कर चौड़ाई और स्वामित्व की जानकारी प्राप्त कर लें। सरकारी अभिलेख में अन्य जानकारी हो तो उसे भी स्पष्ट किया जाय। उन्होंने कहा मुख्य रूप से भूमि स्वामी के विषय में विशेष जानकारी विभाग को दें। इसके अलावा गंगा ब्रिज से किले मार्ग तक सड़क के दोनों ओर सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर दिया जायेगा। जिसमें कि हरियाली के साथ-साथ पर्यटकों को आकर्षित करने वाली आधुनिक अवसरंरचना का निर्माण शामिल है। वेंडिंग जोन को भी बड़े महत्व के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा सांस्कृतिक और पर्यटनों को आकर्षित करने की मेन योजना है। भविष्य में पर्यटन निधि का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। बैठक में अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, निधि वाजपेयी और डूडा से जुड़े अन्य सदस्य शामिल थे।

मानचित्र और अवैध निर्माण को लेकर विप्रा में हुई बैठक

विकास प्राधिकरण के सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्र ने शनिवार को जोन-३,४,५ के विभिन्न कार्यों पर बैठक की। जिसमें मानचित्र निस्तारण, बकाया जमा, शिकायत का निस्तारण एवं प्रवर्तन कारवाई। सील भवनों में अब तक क्या कारवाई हुई उसपर संबंधित विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत वार्ता हुई। जिसमें मुख्य रूप से बेसमेंट, प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कारवाई एवं विधि कारवाई के विषय में चर्चा हुई। इस दौरान एक पेट्रोल पंप के विषय में आवश्यक जानकारी दी गयी जिसमें सचिव ने निर्देश दिया कि दस दिन के अंदर अभिलेख नही प्रस्तुत किया गया तो पेट्रोल संचालक के विरुद्ध विधिक कारवाई की जायेगी। जिसमें अवैध निर्माण के तहत कारवाई होनी है। जोन-३ में १४ मानचित्र स्वीकार्य किये गये। जिससे लगभग छह लाख १९ हजार ७२६ रुपया जमा किया गया। जोन-४ में दो मानचित्र जिससे १५ लाख ९५ हजार ८२ रुपया और जोन-५ में दो मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं जिसमें तीन लाख ५६ हजार ३७३ रुपये विप्रा कोष में जमा किया गया। सचिव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जोन में किसी प्रकार का अवैध निर्माण न होना चाहिए। बैठक में जोनल अधिकारी के अलावा संयुक्त सचिव परमानंद यादव, सौरभ देव प्रजापति, प्रमोद कुमार तिवारी, श्रीप्रकाश कुमार, अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश, आर.के.सिंह, पीएन दूबे शामिल थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज–दि0 29.09.2024

पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट को वीडीए की टीम ने किया सील

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3, वार्ड-दशास्वमेध के अंतर्गत सिगरा स्थित भवन संख्या D-58/19 A-4 में अवैध निर्माण और पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट का वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा 18/09/2024 को स्थल निरीक्षण किया गया था तथा भवन स्वामी को उक्त बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को बंद कर पार्किंग के लिए उपयोग में लाने के लिए आदेशित किया गया था परन्तु वर्तमान में भी पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट पाए जाने पर उक्त स्थल को खाली कराकर जोनल अधिकारी द्वारा सील की कार्यवाही की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश एवं प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट को सील करते वीडीए कर्मी

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने आम जन मानस से अपील करते हुए कहा है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।